न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, सहरसा।

नियमित जमानत आवेदन संख्या–146/19

28.03.19 विद्वान अधिवक्ता श्री सुगन्धी कुमार यादव को आवेदक अमित कुमार की ओर से काण्ड संख्या सौर बाजार थाना 12/19 धारा 25(1-B) a, 26 शस्त्र अधिनियम में दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर सुना। अभिलेख प्राप्त है। अभियुक्त दिनांक 07.01.19 से काराधीन है। उन्होंने दावा किया कि इस आवेदन के पूर्व इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में उन्होंने अन्य कोई आवेदन दाखिल नहीं किया है। उन्होंने गांव की राजनीति के कारण झूठे केस में फंसाये जाने एवं स्वयं को निर्दोष बताकर जमानत के योग्य बताया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने आवेदक को आग्नेयास्त्र के साथ घटनास्थल से गिरफ्तार होने का दावा कर जमानत आवेदन का विरोध किया है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक काण्ड संख्या सौर बाजार थाना 12/19 धारा 25(1-B) a, 26 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है। आरोप है कि आवेदक के कमर के वाये तरफ खोंसा हुआ एक काला रंग का देशी पिस्टल एवं मैग्जीन में 7.65 एम0 एम0 के तीन गोली एवं पीछे खोंसा हुआ देशी कट्टा एवं फुलपैन्ट के जेब से 3.15 एम0 एम0 की दो गोली बरामद हुआ। बरामद आग्नेयास्त्र के बारे में कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिया। काण्ड दैनिकी के पैरा 46 से स्पष्ट है कि कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पैरा 69 से स्पष्ट है कि आवेदक के विरूद्ध आरोप पत्र प्राथमिकी धारा के अन्तर्गत समर्पित किया जा चुका है। अभियुक्त दिनांक 07.01.19 से काराधीन है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक–अभियुक्त अमित कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। उसे मो0 10000/–रूपये एवं समान राशि के दो प्रतिभू के साथ बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान निम्न न्यायालय के संतुष्टि पश्चात् अभियुक्त को इस शर्त पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है कि आरोप गठन तक सदेह उपस्थित रहेगा एवं उसके बाद

लगातार दो तिथियों पर अनुपस्थिति रहने पर उसका बंध पत्र खण्डित कर दिया जाएगा।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय,